जुलहिज्जा के 10 दिनों की फज़ीलत और ईदुल–अज़्हा तथा कुर्बानी के अहकाम

﴾ فضل العشر من ذي الحجة وأحكام عيد الأضحى والأضحية ﴿

[हिन्दी - Hindi - هندي]

अब्दुल मलिक क़ासिम

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ فضل العشر من ذي الحجة وأحكام عيد الأضحى والأضحية ﴾

« باللغة الهندية »

عبد الملك القاسم

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:

जुल–हिज्जा के प्राथमिक दस दिनों की फज़ीलत:

हर प्रकार की प्रशंसा और गुण–गान सर्व संसार के पालन कर्ता अल्लाह के लिए योग्य है, तथा सर्वश्रेष्ठ ईश्दूत और सन्देष्टा हमारे पैगंबर मुहम्मद, तथा आप की संतान और आप के सभी साथियों पर अल्लाह की कृपा और शान्ति अवतरित हो . . हम्द व सलात के बाद :

अल्लाह तआला की कृपा और उपकार है कि उस ने अपने नेक बन्दों के लिए ऐसे मौसम (ऋतु) और अवसर निर्धारित किये हैं जिन में वे अधिक सक अधिक नेक कार्य करते हैं, और इन महान मौसमों और महत्वपूर्ण अवसरों में से एक जुलहिज्जा के प्राथमिक दस दिन भी हैं।

इन दस दिनों की प्रतिष्ठा और फज़ीलत के बारे में कुरआन व हदीस के अंदर कई प्रमाण आये हैं जिन में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1. अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ [الفجر:١--٢]

"क़सम है फज्र की और दस रातों की।" (सूरतुल–फज्र:89/1–2)

हाफिज़ इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं : इस से अभिप्राय जुलहिज्जा का दहा (प्राथमिक दस दिन) है।

2. तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج:٢٨]

और उन मुक़र्रर दिनों में अल्लाह के नाम को याद करें।'' (सूरतुल हज्ज : 28)

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि इस से मुराद ज़ुल हिज्जा के दिन हैं।

3. इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''इन दस दिनों से अधिक किसी और दिन में अमल करना श्रेष्ठ नहीं है।'' लोगों ने कहा : और जिहाद भी नहीं ? आप ने फरमाया : ''और जिहाद भी नहीं, सिवाय उस आदमी के (जिहाद के) जो अपने प्राण और धन के साथ निकले और फिर वापस न लौटे।'' अर्थात शहीद हो जाए। (सहीह बुखारी)

4. तथा इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उनहों ने कहा कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''अल्लाह के निकट इन दस दिनों से अधिक महान तथा इन में अमले सालेह करने से अधिक पसन्दीदा कोई और दिन नहीं, अतः इन दिनों में अधिक से अधिक ला–इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर और अल्हम्दुलिल्लाह कहो।'' (इसे तबरानी ने मोजमुल कबीर में रिवायत किया है)

5. सईद बिन ज़ुबैर रहिमहुल्लाह –जिन्हों ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लहु अन्हुमा की पिछली हदीस रिवायत की है– जब ज़ुलहिज्जा का दहा आता था तो बहुत कठिन परिश्रम करते थे यहाँ तक कि क़रीब होता कि वह उसकी ताक़त न रख सकें। (दारमी ने इस हसन इसनाद के साथ रिवायत किया है)

6. हाफिज़ इब्ने हजर फत्हुल बारी में कहते हैं कि : प्रत्यक्ष यही होता है कि जुलहिज्जा के दस दिनों के उत्कृष्ट होने का कारण यह है कि इस में महत्वपूर्ण इबादतें एकत्र हो जाती हैं और वह नमाज़, रोज़ा, सदक़ा, और हज्ज हैं, और ऐसा इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में नहीं होता है।

7. अन्वेषक विद्वानों का कहना है कि : जुलहिज्जा के प्राथमिक दहे के दिन सब से अफज़ल (सर्वश्रेष्ठ) दिन हैं, और रमज़ान के अंतिम दहे की रातें सब से अफज़ल (सर्वश्रेष्ठ) रातें हैं।

इन दिनों में जो काम करना मुसतहब है :

1. **नमाज़** : समय पर फर्ज़ नमाज़ों की अदायगी और अधिक से अधिक नफली नमाज़ें पढ़ना मुसतहब है, क्योंकि नमाज़ अल्लाह तआला की निकटता प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ कामों में से है, सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि मैं ने अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फरमाते हुये सुना कि : ''तुम अधिक से अधिक सज्दा करो (अर्थात् नफली नमाज़ें पढ़ो) क्योंकि तुम एक सज्दा भी करोगे तो अल्लाह उस के द्वारा तुम्हें अपनी ओर एक दर्जा ऊँचा कर देगा, और उसके द्वारा तुम से एक गुनाह को मिटा देगा।'' (सहीह मुस्लिम) और यह फज़ीलत हर समय के लिए है।

2. **रोज़ा** : क्योंकि यह भी नेक कामों में शामिल है, चुनाँचि हुनैदा बिन खालिद अपनी बीवी से और वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की किसी बीवी से रिवायत करती हैं कि उन्हों ने कहा : ''अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नौ जुलहिज्जा, आशूरा के दिन और हर महीने में तीन दिन का रोज़ा रखते थे।'' (इसे इमाम अहमद, अबू

दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है) इमाम नववी इस दहे के रोज़ों के बारे में कहते हैं कि : यह बहुत अधिक मुसतहब है।

3. **ला–इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर और अल्हम्दुलिल्लाह कहना :** जैसाकि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पिछली हदीस में वर्णित है कि : ''अतः इन दिनों में अधिक से अधिक ला–इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर और अल्हम्दुलिल्लाह कहो।'' तथा इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि ''इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा जुलहिज्जा के दस दिनों में बाज़ार में निकलते थे और तक्बीर कहते थे और उन दोनों की तक्बीर के कारण लोग भी तक्बीर कहते थे।'' तथा उनका यह भी कहना है कि : ''उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिना में अपने कुब्बे में तक्बीर कहते थे तो मस्जिद वाले उसे सुन कर तक्बीर कहते थे और बाज़ार वाले भी तक्बीर कहते थे यहाँ तक कि मिना तक्बीर से गूंज उठती।''

तथा इब्ने उमर उन दिनों में नमाज़ के बाद, अपने बिस्तर पर, अपने तंबू में, अपनी बैठक में और चलते–फिरते तक्बीर कहते थे, और मुसतहब यह है कि उमर, इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अमल के आधार पर ऊँची आवाज़े से तक्बीर कही जाये।

हम मुसलमान के लिए अति योग्य है कि हम इस सुन्नत को ज़िन्दा करें जो इन दिनों छोड़ दी गई है, और क़रीब है कि उसे भुला दिया जाये यहाँ तक कि नेकी और भलाई वाले लोग भी इस में कोताही करते हैं जबकि सलफ सालेहीन का रवैया इसके विपरीत था।

4. **अरफा के दिन का रोज़ा :** हाजियों को छोड़ कर अन्य लोगों के लिए अरफा के दिन का रोज़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नबी

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने अरफा के दिन के रोज़ा के बारे में फरमाया :''अरफा –9 जुल–हिज्जा– के दिन के रोज़े के बारे में मुझे अल्लाह तआला से आशा है कि वह इसे एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों के लिए कफ्फारा (प्रायश्चित) बना देगा।'' (सहीह मुस्लिम)

5. **यौमुन्नह्र –क़ुर्बानी के दिन– की फज़ीलत** : इस महान दिन के बारे में अधिकतर मुसलमान गफलत से काम लेते हैं जबकि कुछ विद्वानों का विचार है कि यह सामान्य रूप से साल का सब से अफज़ल (सर्वश्रेष्ठ) दिन है यहाँ तक कि अरफा के दिन से भी श्रेष्ठतर है। इब्नुल क़ैयिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं : ''अल्लाह के निकट सब से श्रेष्ठ दिन यौमुन्नह्र (10 ज़ुलहिज्जा अर्थात् क़ुर्बानी का दिन) है, और वही हज्जे अक्बर का दिन है।'' जैसाकि सुनन अबू दाऊद में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''अल्लाह के निकट सब से महान दिन यौमुन्नह्र है, फिर यौमुल क़र्र है।'' यौमुल क़र्र से अभिप्राय मिना में ठहरने का दिन है और वह 11 ज़ुलहिज्जा का दिन है। तथा एक कथन के अनुसार अरफा का दिन उस से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उस का रोज़ो दो साल के गुनाहों को मिटा देता है, और अल्लाह तआला अरफा के दिन से अधिक किसी अन्य दिन लोगों को नरक से मुक्त नहीं करता है, और इसलिए भी कि अल्लाह तआला उस दिन अपने बन्दों से क़रीब होता है और अरफा में ठहरने वालों पर अपने फरिश्तों के सामने गर्व करता है। लेकिन पहला कथन ही शुद्ध है; क्योंकि उस पर जो हदीस तर्क है उस का विरोध कोई अन्य चीज़ नहीं कर सकती है . . बहरहाल चाहे वही सर्वश्रेष्ठ हो या अरफा का दिन, एक मुसलमान को –चाहे वह हज्ज करने वाला हो या अपने घर

पर मुक़ीम हो– चाहिये कि उस की फज़ीलत को पाने और उस से लाभान्वित होने का अभिलाषी बने।

ईदुल–अज़्हा के अहकाम :

मेरे मुस्लिम भाई ! मैं सर्वशक्तिमान अल्लाह की स्तुति करता हूं कि उस ने आप को उन लोगों में से बनाया जो इस महान दिन को पा रहे हैं, और आप की आयु को इतनी लंबी कर दिया कि आप दिनों और महीनों का निरंतर आना जाना देख रहे हैं और उस के अंदर ऐसे कार्य करके आगे भेज रहे हैं जो आप को अल्लाह की निकटता तक पहुँचाने वाले हैं।

ईद इस उम्मत की विशिष्टताओं और धर्म की प्रत्यक्ष निशानियों और इस्लाम के शआइर (विधिशास्त्रों और रीतियों) में से है, इसलिए आप के लिए ज़रूरी है कि इस का ध्यान रखें और इसका सम्मान करें, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج:٣٢].

''और जो अल्लाह के शआइर (निशानियों) का सम्मान और आदर करे तो यह उस के दिल की परहेज़गारी की वजह से है।'' (सूरतुल हज्ज : 32)

आप के सामने ईद के अहकाम और उसके आदाब (आचार) से संबंधित कुछ संछिप्त बाते प्रस्तुत की जा रही हैं :

1. **तक्बीर** : अरफा (9 जुलहिज्जा) के दिन फज्र से से लेकर तश्रीक़ के अंतिम दिन अर्थात 13 जुलहिज्जा के अस्र तक तक्बीर कहना मसनून है, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة:٢٠٣]

‘‘और अल्लाह तआला की याद उन गिनती के कुछ दिनों (तश्रीक़ के दिनों) में करो।’’ (सूरतुल बक़रा : 203)

और उसका तरीक़ा यह है कि : **‘‘अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला–इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, वलिल्लाहिल हम्द’’** कहा जाये, मर्दो के लिए मसनून है कि वे अल्लाह के सम्मान का एलान करते हुये और उसकी

उपासना और आभार का प्रदर्शन करते हुये मस्जिदों, बाज़ारों और घरों में तथा नमाज़ों के बाद ऊँची आवाज़ में तक्बीर कहें।

2. **कुर्बानी करना** : और यह ईद की नमाज़ के बाद होनी चाहिये, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ‘‘जिस ने नमाज़ पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दी है वह उस के स्थान पर दूसरी कुर्बानी करे, और जिसने कुर्बानी नहीं की है वह (अब) कुर्बानी करे।’’ (बुखारी व मुस्लिम)

कुर्बानी का समय चार दिन तक है, ईद का दिन (यौमुन्नह्र) और तश्रीक़ के तीन दिन (11, 12, 13 जुलहिज्जा), क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमाया : ‘‘तश्रीक़ के सभी दिन कुर्बानी (ज़ब्ह) करने के हैं।’’ (देखिये : अस्सिलसिला अस्सहीहा हदीस संख्या : 2467)

3. **स्नान करना और मर्दों के लिए खुश्बू लगाना** : तथा बिना फुजूल खर्ची के और बिना टखनों से नीचे लटकाये हुये अच्छे कपड़े पहनना, और दाढ़ी न मूँडना, क्योंकि यह हराम है, तथा महिला के लिये बिना श्रृंगार प्रदर्शन के और बिना खुश्बू लगाये हुये ईदगाह जाना मसनून है।

4. **कुर्बानी के गोश्त से खाना** : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खाना नहीं खाते थे यहाँ तक कि ईदगाह से वापस आ जाते, तो अपनी कुर्बानी के गोश्त से खाते थे।

5. **अगर हो सके तो ईदगाह पैदल चलकर जाना** : तथा सुन्नत का तरीक़ा यह है कि ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाये, हाँ यदि कोई उज़्र (कारण) हो उदाहरण के तौर पर बारिश हो रही हो तो मस्जिद में पढ़ सकते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अमल के आधार पर।

6. **मुसलमानों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ना, और खुत्बा सुनना** : अन्वेषक विद्वानों जैसेकि शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने जिस चीज़ को राजेह (उचित) क़रार दिया है वह यह है कि ईद की नमाज़ वाजिब है, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है : ''तो तू अपने रब के लिये नमाज़ पढ और कुर्बानी कर।'' (सूरतुल कौसर : 2) और यह किसी शरई उज़्र की बिना पर ही समाप्त होता है। और औरतें मुसलमानों के साथ ईद की नमाज़ में हाज़िर होंगी, यहाँ तक कि माहवारी वाली और पर्दे में रहने वाली कुँवारी औरतें भी, और मासिक धर्म वाली महिला नमाज़ पढ़ने की जगह से अलग–थलग रहेगी।

7. **रास्ता बदल कर आना जाना**: आप के लिए मुसतहब यह है कि ईदगाह एक रास्ते से जायें और दूसरे रास्ते से वापस आयें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि का यही अमल था।

8. **ईद की बधाई देना**: ईद की बधाई देने में कोई बात नहै, उदाहरण के तौर पर यह कहना : ''तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्कुम''

अर्थात् अल्लाह तआला हमारे और तुम्हार नेक कामों को क़ुबूल फरमाये।

मेरे मुसलमान भाई! आप उन गलतियों में पड़ने से सावधान रहें जो कुछ लोग कर बैठते हैं, जैसेकि :

1. **सामूहिक तक्बीर** : एक आवाज़ में एक साथ मिलकर तक्बीर कहना या एक तक्बीर कहने आले आदमी के पीछे सब का तक्बीर दुहराना।
2. **ईद के दिन हराम चीज़ों के द्वारा दिल्लगी और मनोरंजन करना** : जैसेकि गाना सुनना, फिल्में देखना, मर्दों का गैर महरम महिलाओं के साथ मेल–मिलाप और इनके अतिरिक्त अन्य निषिद्ध काम।
3. **कुर्बानी करने से पहले बाल या नाखुन काटना** : क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस से मना किया है।
4. **फुजूल खर्ची करना** : ऐसी चीज़ों में माल खर्च करना जिस में कोई लाभ और उस के पीछे कोई हित न हो, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام:١٤١].

''और फुजूल खर्ची न करो, निःसन्देह अल्लाह तआला फुजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता।'' (सूरतुल अनआम : 141)

कुर्बानी की वैधता और उसके कुछ अहकाम :

अल्लाह तआला ने कुर्बानी को अपने इस कथन के द्वारा धर्म संगत करार दिया है :

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:٢]

“तो तू अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ और कुर्बानी कर।” (सूरतुल कौसर :2)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللهِ﴾ [الحج:٣٦]

“कुर्बानी के ऊँट को हम ने तुम्हारे लिए अल्लाह तआला के निशान मुक़र्रर कर दिए हैं।” (सूरतुल हज्ज : 36)

कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है और ताक़त रखने के बावजूद उसे छोड़ देना मक्रूह है, क्योंकि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो सफेद और काले रंग वाले सींगदार मेंढों की कुर्बानी की, आप ने उन्हें अपने हाथ से ज़ब्ह किया और उन पर अल्लाह का नाम लिया और तक्बीर कही। अर्थात् बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर कहा।

कुर्बानी किस जानवर से की जाये?: कुर्बानी केवल ऊँट, गाय और भेड़–बकरी की ही की जायेगी, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج:٣٤].

“ताकि वे उन चौपायों जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है।” (सूरतुल हज्ज : 34)

तथा कुर्बानी के जानवर का ऐबों और खामियों से पाक होना शर्त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

“चार (दोषों और खामियों वाले) जानवर कुर्बानी के लिए पर्याप्त (काफी) नहीं होते हैं : काना जानवर जिस का कानापन स्पष्ट हो, रोगी जानवर

जिस का रोग स्पष्ट हो, लेंगड़ा जानवर जिस का लेंगड़ापन स्पष्ट हो, तथा लागर जानवर जिस के हड्डी में गूदा न हो।'' (तिर्मिज़ी)

ज़ब्ह करने का समय : कुर्बानी का जानवर ज़ब्ह करने का समय ईद की नमाज़ के बाद शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''जिस ने ईद की नमाज़ से पहले ज़ब्ह किया तो उस ने अपने आप के लिए ज़ब्ह किया है, और जिस ने नमाज़ और दोनों खुत्बों के बाद ज़ब्ह किया, तो उसने अपनी धार्मिक परंपरा (कुर्बानी की इबादत) को पूरा किया और सुन्नत के तरीक़े को पहुँच गया।'' (बुखारी व मुस्लिम)

तथा जो आदमी ज़ब्ह करना जानता है उस के लिए सुन्नत यह है कि वह अपने कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़ब्ह करे, और **''बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर, अल्लाहुम्मा हाज़ा अन् फुलान''** कहे, और अपना या जिस की तरफ से कुर्बानी कर रहा है उस का नाम ले। (अर्थात् फुलान के स्थान पर आदमी अपना या जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है उसका नाम ले, उदाहरण के तौर पर ''अल्लाहुम्मा अन् अहमद'') क्योंकि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मेंढा ज़ब्ह किया और कहा : ''बिस्मिल्लाह वल्लाहु अक्बर, ऐ अल्लाह! यह मेरी तरफ से और मेरी उम्मत में से कुर्बानी न करने वाले की तरफ से है।'' (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

और जो आदमी स्वयं ज़ब्ह नहीं कर सकता है तो वह वहाँ मौजूद रहे।

कुर्बानी के गोश्त का वितरण : कुर्बानी करने वाले के लिए मुसतहब है कि वह कुर्बानी के गोश्त से स्वयं खाये, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को उपहार दे, और उस से गरीबों पर सद्क़ा करे, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج:٢٨]

''तो तुम उस से स्वयं भी खाओ और भूखे फक़ीरों को भी खिलाओ।'' (सूरतुल हज्ज : 28)

तथा अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج:٣٦]

''तो तुम उस से स्वयं भी खाओ और गरीब भिखारी और जो भिखारी न हो उसे भी खिलाओ।'' (सूरतुल हज्ज : 36)

तथा कुछ सलफ सालेहीन इस बात को पसंद करते थे कि उस के तीन भाग किये जायें : एक भाग आदमी अपने लिये निर्धारित कर ले, और एक तिहाई मालदारों को उपहार देने के लिए, और एक तिहाई फक़ीरों पर सद्क़ा करने के लिए। तथा क़साई को उसके गोश्त से मज़दूरी के तौर पर न दिया जाये।

क़ुर्बानी करने का इरादा रखने वाला किन चीज़ों से बचाव करे? : जब कोई आदमी क़ुर्बानी करने की इच्छा रखे और जुलहिज्जा का महीने शुरू हो जाये तो उस के ऊपर अपने बाल, या नाखुन, या चमड़े में से कोई चीज़ काटना (नोचना) हराम है यहाँ तक कि वह अपने क़ुर्बानी के जानवर को ज़ब्ह कर ले, क्योंकि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जब जुल–हिज्जा का दहा शुरू हो जाये और तुम में से कोई व्यक्ति क़ुर्बानी करना चाहे तो वह अपने बाल और नाखुन न काटे।'' (इसे अहमद और मुस्लिम ने रिवायत किया है)

तथा एक रिवायत के शब्द यह हैं कि : ''तो वह अपने बाल और चमड़े में से किसी चीज़ को न छुये यहाँ तक कि क़ुर्बानी कर ले।''

और अगर क़ुर्बानी की नीयत ज़ुलहिज्जा के दस दिनों के दौरान करे तो नीयत करने के समय से इन चीज़ों से रूक जाये, और नीयत करने से पहले उस ने जो बाल वगैरा काटे हैं उसके बारे में उस पर कोई गुनाह नहीं है।

क़ुर्बानी करने वाले आदमी के घर वालों के लिए ज़ुलहिज्जा के दस दिनों में अपने बालों, नाखुनों को काटना और चमड़ों को नोचना जाइज़ है।

और जब क़ुर्बानी का इराद रखने वाला अपने बाल या नाखुन या चमड़े में से कोई चीज़ काट ले तो उसे चाहिए कि अल्लाह तआला के सामने तौबा करे और दुबारा ऐसा न करे, और इसका कोई कफ्फारा नहीं है, और न ही यह क़ुर्बानी में कोई रूकावट है।

और अगर इन में से कोई चीज़ भूल कर या अनजाने में काट ले, या बिना इच्छा के बाल गिर जाये तो उस पर कोई गुनाह नहीं है।

और अगर उसे काटने की ज़रूरत पड़ जाये तो काट सकता है और उस पर कोई चीज़ नहीं है, उदाहरण के तौर पर : नाखुन टूट जाये और उसे तकलीफ पहुँचाये तो उसे काट दे, यह बाल उसकी आँखों में आ जाये तो उसे नोच दे, या घाव आदि के इलाज के लिए उसे काटने की आवश्यकता पड़ जाये।

अंत में : मेरे मुस्लिम भाई आप यह न भूलें कि आप नेकी और भलाई के कामों जैसे कि सिला–रहमी और रिश्तेदारों की ज़ियारत करने, आपस में बुग़्ज़, दुश्मनी, हसद, द्वेष और घृणा को त्यागने और अपने दिल को इन से पवित्र करने, मिस्कीनों, फक़ीरों, यतीमों के साथ सहानभूति रखने, उनकी सहायता करने और उन्हें खुशी बाँटने के अभिलाषी बनें।

अल्लाह तआला से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उस चीज़ की तौफीक़ प्रदान करे जिस से वह प्यार करता और प्रसन्न होता है . . तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और आप की संतान और सभी साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।